अनुमण्डल कार्यालय, गोपालगंज सदर
आम सूचना

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला महादलित मिशन समिति, गोपालगंज के 709/कल्याण दिनांक 07.06.2023 एवं जिला परियोजना पदाधिकारी सह जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 720/कल्याण दिनांक 10.06.2024 के द्वारा विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु दिनांक 10.06.2024 से 19.07.2024 तक तिथि निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार संबंधित प्रखंड कुचायकोट एवं थावे में रिक्त पदों पर विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाना है। जो निम्नवत है:-

रिक्ति से संबंधित सूचना

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण कोटि
गोपालगंज	कुचायकोट	बखरी	चमार (महिला)
गोपालगंज	थावे	एकडेरवां	चमार (सामान्य)

चयन से संबंधित निर्धारित तिथि

क्रम सं0	गतिविधि	अवधि
01	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	24.06.2024 से 29.06.2024
02	मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन करना	05.07.2024
03	मेधा सूची पर आपति प्राप्त करना एवं निराकरण	05.07.2024 से 08.07.2024
04	चयन सूची का प्रकाशन	13.07.2024
05	नियोजन पत्र वितरण/शपथ पत्र उन्मुखीकरण	19.07.2024

चयन हेतु योग्यता एवं शर्तें:-

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।
2. महादलित आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होगी।
3. प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड कलस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
5. जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है, यहां के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।
6. मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा।
7. अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
8. चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।
9. समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. चयन सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति के अनुपलब्धता/योगदान नहीं देने पर/दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी मेधा सूची के नीचे के क्रम वाले अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई करेंगे।
11. निर्धारित योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है:-

    (क) नन- मैट्रिक (ख) नौवीं पास (ग) आठवीं पास (घ) सातवीं पास

(ङ) छठ्ठा पास (च) पांचवी पास

- सर्वप्रथम नन मैट्रिक, उसके पश्चात नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के कम से चयन किया जायेगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में नीचे के शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक का चयन नहीं किया जायेगा।
- नन–मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्तांक आवेदन पत्र के साथ लिया जायेगा।
- आठवीं से पांचवी पास तक के अभ्यर्थियों से विद्यालय परित्याग पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ लिया जायेगा।
- वैसी स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होंगे वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा।
- अगर दो या अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे।
- महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हे चयन किया जा सकता है। बशर्ते वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुडी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हों।
- इस प्रकार के महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा योग्य अभ्यर्थी के चयन से स्वविवेक निर्णय लिया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति के पंचायत से ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में पंचायत के बाहर के आवेदक का चयन नहीं किया जायेगा।

स्थानः– गोपालगंज
दिनांकः– 10.06.2024

10.6.24

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोपालगंज सदर।

120 19

बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्र नियोजन हेतु आवेदन पत्र

क्रम सं०-

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

निर्धारित जाति बहुलता ________

आरक्षण (महिला) ________

आवेदक द्वारा भरा जाएगा

(जिस पंचायत/वार्ड (शहरी) के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका नाम)

पंचायत / वार्ड (शहरी) ________

प्रखण्ड / नगर निकाय ________

1. आवेदक / आवेदिका का नाम ....

2. पिता / पति का नाम ....

3. माता का नाम ....

4. जाति ....

पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ

6 (क) जन्मतिथि — दिन [ ][ ] माह [ ][ ] वर्ष [ ][ ][ ][ ]

(ख) उम्र (दिनांक ~~01.01.2010~~ 01.01.24 को) वर्ष [ ][ ] माह [ ][ ] दिन [ ][ ]

7. स्थायी निवास

(क) टोला / गाँव / मुहल्ला ________

(ख) पंचायत / वार्ड (शहरी) ________

(ग) प्रखण्ड / नगर निकाय ________

(घ) जिला ________ , (च) राज्य ________ (छ) पिन कोड ________

(ज) फोन / मोबाईल न० [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8. शैक्षणिक योग्यता

क्र. स	मैट्रिक / साक्षर / 8वीं / 5वीं परीक्षा	उत्तीर्णता का वर्ष	संस्था / बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत

घोषणा – मेरी जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएँ सत्य है एवं इसके असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी जा सकती है।

स्थान –

दिनांक – ________ आवेदक का पूरा नाम ________ हस्ताक्षर

नोट– आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें– (राजपत्रित पदाधिकारी या किसी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या उच्च विद्यालय के शिक्षक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।) 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, 2. जाति प्रमाण पत्र, 3. आवासीय प्रमाण पत्र

✂------------------------------------✂------------------------------------✂

विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमति ________, पिता / पति श्री ________.

(क) टोला / गाँव / मुहल्ला ________, (ख) पंचायत / वार्ड (शहरी) ________, (ग) प्रखण्ड / नगर निकाय ________, (घ) जिला ________, का आवेदन पत्र विकास मित्र के नियोजन हेतु दिनांक ________ को प्राप्त किया। इन्होंने पंचायत / वार्ड (शहरी) ________, प्रखण्ड / नगर निकाय ________, जिला ________ के लिए आवेदन दिया है जिसका क्र. सं. ________ है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर